**लिखित कथन-धारा 145 द. प्र. सं. के अधीन**

न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट | मजिस्ट्रेट ......................

वाद सं. ................... सन् ......................

इनरी –

अबक ............. ...................... ...................... ...................... ........ प्रथम पक्षकार

बनाम

कखग ...................... ...................... ...................... ...................... द्वितीय पक्षकार

**दूसरे पक्षकार द्वारा लिखित कथन -**

**अति सादर पूर्वक प्रदर्शित करता है -**

1. यह कि कार्यवाही के अधीन प्रश्नगत भूखण्ड सं. ................ फलों की होने वाली बाग पर अन्तिम ................ वर्षों से दूसरे पक्षकार के कब्जे में अनन्य रूप से तथा भार साधन में है और प्रश्नगत फलों की बाग प्रथम पक्षकार के कब्जे में कभी भी नहीं रही थी।
2. यह कि प्रश्नगत फलों की बाग का चालू कब्जा में प्रथम पक्षकार द्वारा कभी भी नहीं विघ्न डाला जा सकता है और उसे एक अवैधानिक तरीके से प्रथम पक्षकार द्वारा अपनायी गयी कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि पथ भ्रष्ट करने वाली प्रकृति की है।
3. प्रथम पक्षकार सिविल न्यायालय का आश्रय लेने के बजाय यदि कोई भी कब्जे के लिए धारा 145 द. प्र. सं. को व्यवहृत नहीं कर सकता है।
4. यह कि वर्तमान मामला धारा 145 (4), द. प्र. सं. के परंतुक द्वारा नहीं आच्छादित किया जाता है क्योंकि अधिकार पूर्ण स्वामी द्वितीय पक्षकार है।

**प्रार्थना**

यह अति सादर पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि कब्जे के वास्तविक तथ्य के प्रतिकूल और विधि में गलत मान ली जाने वाली धारा 145 द. प्र. सं. के अधीन प्रथम पक्षकार के आवेदनपत्र को खारिज कर दिया जाए और दूसरे पक्षकार द्वारा फलों की बाग का शान्तिपूर्ण कब्जा कायम रखा जाए।

द्वितीय पक्षकार जरिये अधिवक्ता

तारीख :

स्थान :